

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

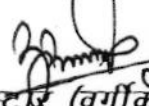
आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ५२० / २०२२ दिनांक : ०९.०२.२०२२

श्री धीरेन्द्र सिंह राजावत (RJ0245), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०२, कोटा को दिनांक २१.०२.२०२२ से २५.०२.२०२२ तक ०५ दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक २०.०२.२०२२ एवं २६.०२.२०२२ से २७.०२.२०२२ के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री राजावत की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०३, कोटा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०२, कोटा के पद पर ही होने की संभावना है ।

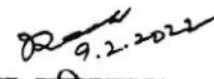
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) ०९.०२.२०२२

क्रमांक:—स्था.बी.२(४)/६०/१९९६/ ४९६

दिनांक : ०९.०२.२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

१. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
२. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०२, कोटा को उनके पत्रांक ०९ दिनांक २९.०१.२०२२ के सन्दर्भ में ।
३. श्री धीरेन्द्र सिंह राजावत (RJ0245), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०२, कोटा ।
४. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०३, कोटा ।


सहायक रजिस्ट्रार